न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 39/2016

तारीख रजू :– 02.11.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. प्रेमशंकर विजयवर्गीय पुत्र श्री राधेश्याम विजयवर्गीय जाति महाजन(एफबीओ व मौके पर विक्रेता)– फर्म– विजयवर्गीय एन्टरप्राईजेज, मधुवन कॉलोनी, खेरदा सवाई माधोपुर हाल निवासी मधुवन कॉलोनी, खेरदा सवाई माधोपुर मूल निवासी ग्राम बम्बोरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

   ....अभियुक्त संख्या 1

2. विनोद विजयवर्गीय पुत्र श्री राधेश्याम विजयवर्गीय जाति महाजन(मालिक)– फर्म– विजयवर्गीय एन्टरप्राईजेज, मधुवन कॉलोनी, खेरदा सवाई माधोपुर हाल निवासी मधुवन कॉलोनी, खेरदा सवाई माधोपुर मूल निवासी ग्राम बम्बोरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

   ....अभियुक्त संख्या 2

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 26(2)ii के तहत

निर्णयः–

दिनांक 15/2/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006, व नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि आवेदक दिनांक 03.03. 2020 को समय 4.30 पी.एम. पर फर्म विजयवर्गीय एन्टरप्राईजेज मधुवन कॉलोनी खेरदा सवाई माधोपुर का निरीक्षण हेत पहुँचा। वहाँ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम प्रेमशंकर विजयवर्गीय जाति महाजन व स्वयं को मौक पर विक्रेता तथा अपने भाई विनोद विजयवगर्गीय पुत्र श्री राधेश्याम विजयवर्गीय जाति महाजन को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने प्रेमशंकर विजयवर्गीय को अपना परिचय दिया तथा परिचय पत्र दिखाया। प्रेमशंकर विजवर्गीय अपनी दुकान पर घी तेल चाय, चीनी बेसन तथा अन्य किराना व परचून की सामग्री आम जनता [illegible] अभियुक्त ने अपना खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया तथा एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। [illegible] है [illegible] सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर [illegible] आम जनता को [illegible] हेतु रखे हुये खाद्य [illegible] देशी घी (नमस्ते इण्डिया) 500 मिली. पैक के 10 [illegible] की रेक में रखे हुये [illegible] निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का [illegible] मौजूद विक्रेता प्रेमशंकर [illegible]वर्गीय से उक्त खाद्य वस्तु देशी घी (नमस्ते इण्डिया) 500 मिली. पैक के 10 पैकिटो में से शुद्धता व लेबल की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तेयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर तथा विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गये। यह है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:19 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान पर एक लकड़ी की रैक में रखे हुये खाद्य वस्तु देशी घी (नमस्ते इण्डिया) 500 मिली. पैक के 4 पैकिट शुद्धता एवं लेबल की जॉच हेतु नमूना लेने बावत खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बजार भाव से 860/– रूपये नकद देकर खरीद की तथा रसीद प्राप्त की गयी । यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ देशी घी (नमस्ते इण्डिया) 500 मिली. पैक के 4 पैकिटों को चार लेबल तैयार कर उन पर स्थान दिनांक खाद्य वस्तु आदि लिखकर आवेदक के हस्ताक्षर तथा विक्रेता तथा गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक पैकिट पर अलग–अलग चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर, पेपर के सिरो को गोद से चपकार पैकिटो पर अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यय अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर एच–1799 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक पैकिट पर चिपकाकर प्रत्येक पैकिट को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करे तथा चारों पैकिटो पर यथास्थान विक्रता व गवाहान के हस्ताक्षरा करवाकर तथा स्वयं आवेदक ने हस्तताक्षर करके सीलकबन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया । दुकान पर मौजूद विक्रेता से उक्त खाद्यवस्तु के माल खरीद बिल/वारन्टी के बारे में पूछने पर विक्रेता ने बिल बाद में पैश करने के लिए आवेदक को कहा गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म न0 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर जिस पर पर उस सील का इम्पेशन कर जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया तथा उक्त फार्म न0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म न0 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफे में सील मोहर कर , आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म न0 6 का सील बन्द लिफाफा श्री गजानन्द लोढ़ा वार्ड बॉय कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 04.03.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई । दो सील बन्द पैकिट मय फार्म सं0 6 की प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा एक सील बन्द पैकिट मय फार्म न0 6 की प्रति अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/603 दिनांक 27.05.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0 एलएस 524/एक्ट/2020/592 दिनांक 09.03.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ देशी घी (नमस्ते इण्डिया) 500 मिली. पैक मिथ्याछाप (Misbranded food U/S 3(1)(zf)(A)(i)(a) and 3(1)(zf)(B)(ii) of FSSA 2006) पाया गया है। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने मिथ्याछाप देशी घी (नमस्ते इण्डिया) 500 मिली का विक्रय कर अभियुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 26(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस एक्ट 2006 एवं नियम और विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है तथा फर्म मालिक ने खरीद बिल/ इन्वॉइस/ वारंटी उपलब्ध नही करवाकर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(डी) का उल्लंघन किया है जो धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराधा है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा [illegible] कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:19 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] रजिस्टर्ड किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर नोटिस का जवाब पेश किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ देशी घी (नमस्ते इण्डिया) 500 मिली. का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मालिक से से बार बार पत्र लिखने के उपरांत भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी जाकर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)d का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा जबाव/बहस में तर्क दिया गया कि अभियुक्त अच्छी क्वालिटी के घी का विक्रय करते हैं तथा यह घी उन्होंने नमस्ते इण्डिया ब्राण्ड का खरीदा है तथा लेबल से सम्बन्धित किसी भी गलती के लिये कम्पनी ही जिम्मेदार है एवं प्रार्थी घी के निर्माता नहीं है। प्रार्थी ने आगे अपने जवाब में तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने द्वेषवश प्रार्थी का सेम्पल लिया है तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत बिल को सही नहीं मानते हुए कम्पनी को पार्टी नहीं बनाया है। अन्त में अभियुक्त ने अपने जवाब में प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 524/एक्ट/2020/592 दिनांक 09.03.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ देशी घी (नमस्ते इण्डिया) 500 मिली मिसब्राण्ड पाया गया है, जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मालिक से से बार बार पत्र लिखने के उपरांत भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी जाकर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)d का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) तथा एफएसएस एक्ट 2006 27(2)(d) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 52 तथा धारा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टैण्डर्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ देशी घी (नमस्ते इण्डिया) 500 मिली का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 52 तथा धारा 58 का उल्लंघन के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से 1,00,000/–रू0 (अक्षरे एक लाख रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर